भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5701
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

निदान केन्द्रों में महिला कर्मचारियों की अनुपलब्धता

5701. श्री शेर सिंह घुबाया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की उन महिला रोगियों की शिकायतों के निवारण हेतु कोई योजना है, जिन्हें देश भर के विभिन्न निदान केन्द्रों में महिला कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण शारीरिक जांच के दौरान कठिनाइयों और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या निदान केन्द्रों में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित महिला कर्मचारियों का उपलब्ध होना अनिवार्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या महिला तकनीशियनों और नर्सों की भर्ती को अनिवार्य किए जाने की संभावना है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है, इसलिए निदान केन्द्रों में महिला कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण शारीरिक जांच के दौरान किसी महिला रोगी को होने वाली कठिनाइयों और शर्मिंदगी की शिकायत मिलने पर उसे संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मुख्य रूप से महिला तकनीशियनों और नर्सों की भर्ती के साथ-साथ निदान केन्द्रों में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणालियों से संबंधित निदान केन्द्रों सहित सरकारी और निजी नैदानिक स्थापनाओं (सशस्त्र बलों के इतर) के पंजीकरण और विनियमन के लिए नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 को अधिनियमित किया। इस अधिनियम के तहत गठित राष्ट्रीय नैदानिक स्थापन परिषद ने रोगियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के चार्टर को मंजूरी दी, जिसमें उपचार के दौरान गोपनीयता, मानवीय गरिमा और निजता के अधिकार के साथ-साथ पुरुष चिकित्सक द्वारा महिला रोगी की शारीरिक जांच के दौरान किसी महिला की उपस्थिति सुनिश्चित करने का अधिकार शामिल है। इस चार्टर को अपनाने और कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया था।

*****